भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या 1300

सोमवार, 13 मार्च, 2023 (22 फाल्गुन,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई अड्डों पर कार्गो परिचालन

1300. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश के कितने हवाई अड्डों पर कार्गो परिचालन की सुविधा उपलब्ध है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त में से कितने हवाई अड्डों पर कार्गो परिचालन किया जा रहा है;

(ग) उक्त में से कितने हवाई अड्डों पर कार्गो परिचालन नहीं किया जा रहा है, इसके क्या कारण है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार देश के सभी छोटे-बड़े हवाई अड्डों पर कार्गो परिचालन की सुविधा विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख) वर्तमान में, देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के 69 हवाईअड्डे कार्गो हेंडलिंग सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इनबाउंड विमान कार्गो आवाजाही की सुविधा सभी 69 हवाईअड्डों पर उपलब्ध है और आउटबाउंड विमान कार्गो आवाजाही की सुविधा 58 हवाईअड्डों पर उपलब्ध है जिनमें विशाखापत्तनम एवं भुवनेश्वर भी शामिल है, जहां केवल श्राइमप बीजों की आवाजाही संचलित की जा रही है।

(ग) और (घ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने सुरक्षा कारणों से अर्थात सामान्य उपयोगकर्ता घरेलू कार्गो टर्मिनल (सीयूडीसीटी) का विनियमित एजेंट (आरए) टर्मिनल में रूपांतरण न कर पाने के कारण दिनांक 30.12.2022 के पत्र के तहत 11 हवाईअड्डे नामत: औरंगाबाद, अगरतला, चंडीगढ़, कोयंबटोर, हुबली, इम्फाल, जम्मू, पटना, रायपुर, तिरुपति और विजयवाड़ा से आउटबाउंड घरेलू विमान कार्गो प्रचालन बंद कर दिया है।

भारतीय हवाईअड्डों पर नई कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना वाणिज्यिक व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर की गई है, जिसमें भूमि की उपलब्धता, विमान प्रचालन/आवाजाही, कार्गो की मात्रा, सीमा शुल्क लागत वसूली शुल्क की छूट, आरए टर्मिनल की आवश्यकता आदि शामिल हैं।

****